न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

राजस्व वाद संख्या : 47A / 2025
निर्णय दिनांक : 21.04.2025
जीसीएमएस संख्या– 2024 / 91 दायर दिनांक – 26.03.2025

रमेश कुमार पुत्र चम्पालाल जाति मेघवाल निवासी कस्बा सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान

...............वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान

................प्रतिवादी

दावा बाबत राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती

उपस्थित :–
1. श्री विजेन्द्र सिंह एडवोकेट वादी
2. प्रतिवादी पेरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी के संयुक्त खातेदारी कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग के खेत खसरा संख्या 442 तादादी 4.4257 हैक्टेयर, खसरा संख्या 901 / 418 तादादी 2.6849 हैक्टेयर, खसरा संख्या 943 / 410 तादादी 1.4021 हैक्टेयर वाके रोही मींगना तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित है। जिन्हे वाद में वादगत भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है।

वादी का नाम वादगत खेतों में दर्ज करते वक्त पटवारी हल्का ने गलती से वादी का बोलता नाम रामेश्वर पुत्र चम्पालाल के नाम 1 / 10 हिस्सा की खातेदारी अंकित कर दिया जबकि वादी का वास्तविक नाम रमेश कुमार पुत्र चम्पालाल है जो कि वादी के पहचान के दस्तावेजात आदि में अंकित है। राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम अंकित होने के कारण वादी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसलिए वादी को आवश्यक हो गया कि वह राजस्व रिकॉर्ड में गलत चले आ रहे अंकन को दुरस्त करवाये। जिसका वह कानूनन अधिकारी है।

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत खेत में वादी का नाम रामेश्वर पुत्र चम्पालाल हिस्सा 1/10 जाति मेघवाल निवासी सुजानगढ खातेदार दर्ज है जबकि वादी के दस्तावेजों में नाम रमेशकुमार पुत्र चम्पालाल जाति मेघवाल है। रामेश्वर व रमेशकुमार दोनों एक ही व्यक्ति हैं अलग-अलग नहीं है। अतः वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में रामेश्वर पुत्र चम्पालाल के स्थान पर रमेशकुमार पुत्र चम्पालाल किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड की प्रतिलिपि, निर्वाचन विभाग द्वारा जारी पहचान प्रमाण-पत्र आदि दस्तावेजात में भी वादी का नाम रमेश कुमार पुत्र चम्पालाल अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 442 तादादी 4.4257 हैक्टेयर, खसरा संख्या 901/418 तादादी 2.6849 हैक्टेयर, खसरा संख्या 943/410 तादादी 1.4021 हैक्टेयर वाके रोही मींगना तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की कृषि भूमि की खातेदारी में वादी का नाम रामेश्वर पुत्र चम्पालाल जाति मेघवाल खातेदार के स्थान पर रमेश कुमार पुत्र चम्पालाल जाति मेघवाल खातेदार दर्ज किया जावे। तद्नुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 21/04/25 को सर इजलास सुनाया जाकर मुद्राकिंत एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(ओमप्रकाश ...)
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला-चूरू
सत्यमेव जयते

डिकरी ब मुकदमेंइब्तादाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्डअधिकारीमुकामसुजानगढ़
बइजलासश्रीओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस

रमेश कुमार बनाम राजस्थान सरकार

दावा बाबत राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा न0 47A सन 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु .... हाजरी श्री विजेन्द्र सिंह एड़, .मिनजानिब मुद्दई व पैरोकार राज़ मिनजानिबमुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 442 तादादी 4.4257 हैक्टेयर, खसरा संख्या 901/418 तादादी 2.6849 हैक्टेयर, खसरा संख्या 943/410 तादादी 1.4021 हैक्टेयर वाके रोही मींगना तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की कृषि भूमि की खातेदारी में वादी का नाम रामेश्वर पुत्र चम्पालाल जाति मेघवाल खातेदार के स्थान पर रमेश कुमार पुत्र चम्पालाल जाति मेघवाल खातेदार दर्ज किया जावे। तदनुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

चीज.. मुबलिग .... बाबत ....
खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी
सालाना आज की तारीख से तारीख व सूलमाबी तक ....
.... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21 माह 04 2025

दस्तखत ....
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

मुहर

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्पवकालतनामा स्टाम्पवजहसबूत महनताना वकील खर्चागवाहान फीसकमिश्नर बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्पवकालतनामा स्टाम्पअर्जी महनतानावकीलपर खर्चागवाहान फीसकमिश्नर बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट : खर्च के फार्मपरकुल खर्चाहरदोफरीकेनका, चाहेडिकरी के जरियेदिलायागयाहो या नही दर्जकरनाचाहिये ।